



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

दूरभाष : 06553-261555 (o)

Email : dc-ramgarh@gov.in

(प्रमाण पत्र)

पत्रांक...../क०,

दिनांक...../...../2021

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-सयाल पतरातु एवं साकुल में नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावित भूमि के अपयोजन हेतु ग्रामसभा की गई है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र०	परियोजना का नाम	ग्राम सभा की तिथि	ग्राम	थाना	खाता	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकबा (एकड़ में)
							वन भूमि (ए०में)	गै०म०खा० जंगल (एकड़ में)	
2	ग्राम-सयाल पतरातु एवं साकुल में नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु	24.08.2021	सयाल	23	86	160	—	1.08	1.08
						171	—	1.34	1.34
						212	—	0.09	0.09
						173	—	0.12	0.12
			पतरातु	22	86	2 / 1380	—	1.72	1.72
			साकुल	21	351	2035	—	2.66	2.66
कुल								7.01	7.01

- उपयुक्त वनभूमि जो ग्राम-सयाल पतरातु एवं साकुल में नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग निर्माण का रकबा 7.01 ए० गै०म०खा० जंगल भूमि में निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement Of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि उपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा। मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यस्थापित कर दी गई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि उपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा(1)(c) के अनुसार विशेष रूप के रक्षित किया गया है।

82

P. Kumbhar
Divisional Forest Officer
Ramgarh

PROJECT OFFICER
North Uriamari OCP

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक ६४३ / क०, रामगढ़, दिनांक 25 / 11 / 2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पतरातु को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक सी०सी०एल बड़का सयाल पतरातु को सूचनार्थ प्रेषित।

शोधवी क्षिप्रा
18.11.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

V. P. Bhatnagar
District Forest Officer
Ranchi

PROJECT OFFICER
North Utmargh OC

पत्तरावू अंचल, ग्राम साँकुम / पत्तरावू के अनापति रखवा
2.66 एकड़ / 1.42 एकड़ (जो. म.) जंगल के अनापति प्रमाण
पत्र निर्गम करने हेतु वनाधिकार अधिनियम - 2006 के
तहत ग्राम-सभा करने के हॉलंडा है

कार्यालय अंचल अधिकारी, पत्तरावू (रामगढ़)
के पत्रांक सं. 1278 दिनांक 23/08/2021 के आदेश
पर आदेश दिनांक 24.08.2021 को वरकासयाल में
के नार्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु
आवश्यक कुल एकड़ 7.01 एकड़ (2.84 हे.) (जो. म.)
जंगल आदेश के वनाधिकार अधिनियम 2006 के
तहत अनापति प्रमाण पत्र निर्गम करने हेतु
ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसके
पत्तरावू एवं साँकुम ग्राम के प्रतिनिधि एवं
ग्रामीण उपस्थित हुए जो निर्णय लिया है

ग्राम	खाला कोट	कुल एकड़ (एकड़)	किस्म जंगल आदेश
पत्तरावू	86	21.3	72
साँकुम	2035	2.66	जंगल आदेश

(क) अंचल प्रतिनिधि / वन विभाग प्रतिनिधि :-

(क) संजय कुमार महतो, वनखी, पत्तरावू
उप-परिसर
(ख) डॉ. लल्लू लल्लू प्रतिनिधि :-

SUBODH Kumar - SO P&P, Baskasayal
Ramesh Kumar - A.S.O, Baskasayal
Ajay Kumar Meher - SO Mm (BSU)
Rishirish Poudel - NO, L&R, BSU
Prince Kumar (AM), BSL

(ग) ग्रामीण प्रतिनिधि / ग्रामीण / वन विभाग

(1) ~~Binod Kumar~~

(2) Binod Kumar

(3) Raksha

(4) Dookh Kumar

(5) Anil

(6) Smt. Basmati

(7) ~~Binod Kumar~~

(8) ~~Anil~~

(9) Mangla Parham

(10) Suraj Singh

(11) Mangita devi

(12) Gita Kumari

(13) Sapna Kisku

(14) Sankar Singh

(15) Gita Singh

(16) Parina Singh

(17) Anil Singh

V. P. Kambh
Divisional Forest Officer
Ramgarh

PROJECT OFFICER
North

(8) सरवत अमर

(19) Bikkilumari

(20) मरुती देवी

(21) शीता अमर

(22) Sunda kumar

(23) Randip kumar Singh

(24) Alkish Kumar

(25) अनंत राव

(26) Sandeep kumar

(27) Sanjay Kumar

(28) मधुनी देवी

(29) Sandeep Kumar

(30) Naval Lal Munda

(31) विनोद कुमार

(32) रमेश

(33) Ramesh Singh

(34) Vinod Kumar

V. P. Kamboj
Divisional Forest Officer
Rangarh

PROJECT OFFICER
RANGARH

(35) इंदिरा कुमार

(36) रामचंद्र प्रसाद

(37) जयसिंह

(38) रामचंद्र

(39) मनोद सिंघ

(40) लोचन चंद्र

उपरोक्त समा नाथ उरीमारी रेलवे सायडिंग
के आन्तर्गत आनेवाली औरमजरगा भूमि (जंगल-झाड़ी)
(खाता सं. 86 पतरा नं. प्लॉट सं. 2/1380 रकबा 1.72 एकड़
खाता सं. 351 क्रांशुल प्लॉट सं. 2035 रकबा 2.66 एकड़) के
अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आयोजित की गई, जिसमें
ग्राम पतरा नं. एवं ग्राम क्रांशुल के उपरि-रगत समस्त
ग्रामिणों से वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत
आपत्ति माँगी गई, जिसमें वन विभाग के
प्रतिनिधि एवं सभी ग्रामिणों द्वारा सर्व सहमति
से उपरोक्त वर्णित खाता, प्लॉट एवं रकबा नाथ
उरीमारी रेलवे सायडिंग से पडनेवाली औरमजरगा
भूमि (जंगल-झाड़ी) का अनापत्ति ग्राम समा के
माध्यम से पारित किया गया। इसके पश्चात् पतरा नं.
अंश से आये कर्मचारी/पदाधिकारी श्री. सी. राज
से आये पदाधिकारी गंगा लाल उपरि-रगत समस्त ग्रामिणों
को दृष्ट्यवाह जापण दिया एवं समा की समाप्ति
की गई।

V. P. Kambal
Divisional Forest Officer
Ramgarh

PROJECT OFFICER
North Urimari OCP

24/8/21
पतरातू अंचल, ग्राम सभा के अंतर्गत रकवा
2.63 एकड़ (गैंगम) जंगली भूमि के अनापति प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006
के तहत ग्राम सभा कले के सम्बन्ध में।

कॉमालय अंचल अधिकारी, पतरातू (रामगढ़)
के पत्रांक संख्या 1278 दिनांक 23/8/2021 के
आधार पर आज दिनांक 24.08.2021 को
वरका सभा क्षेत्र के नाथ उरीमारी रेलवे-
सायडिंग के निर्माण हेतु आवश्यक कुल
रकवा 7.01 एकड़ (2.84 हेक्) गैरमजराआ भूमि
(जंगल माडी) जिसमें ग्राम सभा के अंतर्गत
अनेकाली 2.63 एकड़ गैरमजराआ जंगल माडी)
के वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत
अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ग्राम
सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा
ग्राम के प्रतिनिधि एवं ग्राम ग्रामीण उपस्थित
हुए, जो निम्नलिखित हैं —

(~~रकवा 7.01 एकड़ (2.84 हेक्) गैरमजराआ भूमि (जंगल माडी) के वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा ग्राम के प्रतिनिधि एवं ग्राम ग्रामीण उपस्थित हुए, जो निम्नलिखित हैं —~~)

(क) अंचल प्रतिनिधि: —

24/8/21

24/8/21

(ख) संजय कुमार महतो, वनरक्षी, पतरातू उप-परिसर

(ग) सीक सीक एल प्रतिनिधि: —

- 1. Subodh Kumar (S.O. P&P Barasay)
- 2. Ramkishan Kumar (A.S.O. Barasay)
- 3. Manish Kumar (N.O. L&R Barasay)
- 4. Ajay Kumar Mehta (S.O. Mining Barasay)
- 5. Pooja Kumar (A.S.O. Barasay)

(घ) ग्रामीण प्रतिनिधि / ग्रामीण / वक्ता

सुखदेव पटेल
मुखिया सभा क्षेत्र
अनुराध कौर

V. P. Kamboj

PROJECT OFFICE
Barasay

4 संजय कुमारी - Shri

(5) Bimla Devi

(6) Malandha Kumal

(7) Anu Kumari

(8) 31211 Ch 21 d

(9) Ashu K. Singh

(10) Sabita Kumari

(11) - 174 991

(12) Pushp Raj

(13) Ashu Kumari

(14) Umesh Rao

(15) Sumit K. Barmank

(16) Savi Devi

(17) Laloni Kumari

(18) Ashok Kumar

(19) P.B. Singh

(20) Richa Gupta

(21) Surash Singh

(22) सुनील देवी

(23) विजय कुमार

(24) P. Singh

(25) शरन देव

(26) दीपा देवी

(27) शशि कुमारी

(28) अनिल देव

(29) शशि देवी

(30) विजय देव

(31) Laloni Kumari

(32) Neelu Kumari

V. P. Kamboj
Divisional Forest Officer
Bansgaon

PROJECT OFFICER
North Orimari OCP

20. Shamir Hussain

21. Karan Kumar

22. Kajal Kumari

23. Shamir Hussain

24. Shamir Hussain

25. Shamir Hussain

26. Shamir Hussain

27. Shamir Hussain

28. Shamir Hussain

29. Shamir Hussain

30. Shamir Hussain

31. Shamir Hussain

32. Shamir Hussain

33. Shamir Hussain

34. Shamir Hussain

35. Shamir Hussain

36. Shamir Hussain

37. Shamir Hussain

38. Shamir Hussain

39. Shamir Hussain

40. Shamir Hussain

41. Shamir Hussain

42. Shamir Hussain

43. Shamir Hussain

44. Shamir Hussain

45. Shamir Hussain

46. Shamir Hussain

47. Shamir Hussain

48. Shamir Hussain

V. P. Kamboj
Divisional Forest Officer
Rangan

PROJECT OFFICER
Rangan

64 सरोज साव

65 Row Kamboj

66 मनजीत कुमार

67 रमेश चरण

उपरोक्त समा नाम उरीमाटी रेलवे सागड़ों
के अन्तर्गत आनेवाली गैर मजसूआ भूमि (जंगल-
फाडी खाता संख्या 86 प्लॉट संख्या 160, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

160 रकबा 1.08 एड, 171 रकबा 1.34 एड, 212

रकबा - 09 एड, 173 रकबा 0.12 एड कुल रकबा

2.63 एड) के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु

आवेदन की गई, जिसमें समस्त ग्राम के

उपस्थित सभी ग्रामीणों से वनाधिकार अधिनियम

2006 के तहत आपत्ति मांगी गई, जिसमें

वन विभाग के प्रतिनिधि एवं सभी ग्रामीणों

द्वारा सर्व सहमति से उपरोक्त वर्णित खाता

प्लॉट एवं रकबा नाम उरीमाटी रेलवे सागड़ों

में पडनेवाली गैर मजसूआ भूमि (जंगल-
फाडी) का अनापत्ति ग्राम समा के माध्यम

से परित किया गया। इसके पश्चात पत्राव

अंचल से आये कर्मचारी / पदाधिकारी, सी.बी.डी.

एल. से आये पदाधिकारी वगैरह उपस्थित

सभी ग्रामीणों की धन्यवाद शायण दिया एवं

समा की समाप्ति की गई।

V. P. Kamboj
Divisional Forest Officer
Ranch

PROJECT OFFICER
North Orissa OCP